लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.:429

उत्तर देने की तारीखः 20.07.2021

अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/नि:शक्तजनों का उत्थान

429. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत दो वर्षों के दौरान देश में गरीबी के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/नि:शक्तजनों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके स्तरोन्नयन हेतु उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इन लोगों को गरीबी से उबारने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 में परिवारों की गरीबी की स्थिति के बारे में आंकड़ों की अंतिम बार गणना की गई थी। तथापि, मंत्रालय ने समाज के असुरक्षित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक दशाओं में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, उनकी सूची अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

दिनांक 20.07.2021 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 429 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की सूची।

1. कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत एससी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति केंद्रीय प्रायोजित योजना
2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
3. एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4. बालक एवं बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
5. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम
6. अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति
7. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
8. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
9. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
10. एससी एवं ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग स्कीम
11. अनुसूचित जातियों के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक और अन्य संगठनों हेतु अनुदान सहायता स्कीम
12. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)
14. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को सहायता
15. अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)
16. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
17. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
18. ओबीसी बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
19. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
20. अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) हेतु ओवरसीज अध्ययन के लिए डॉ. अम्बेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम
21. ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए कौशल विकास सहायता

22. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि
23. अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम
24. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
25. जनजाति उप-स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस के लिए एससीए)
26. कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
27. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
28. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप तथा छात्रवृत्ति
29. अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
30. माइनर वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)
31. एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआर)
32. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान स्कीम
33. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए सहायता
34. विशेष असुरक्षित जनजातीय वर्गों (पीवीटीजी) के विकास हेतु सहायता
35. जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान, सूचना तथा लोक शिक्षा
36. जनजातीय उत्पाद/उत्पादन के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता

*****